Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

भारत में महिलाओं की स्थिति

ओम प्रकाश सिंह यादव
स्थायी पता ग्राम टोड़रपुर,
पो0–मनियां–मिर्जाबाद, गाजीपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत

शोध आलेख सार – योजनायें धरातल पर पूर्णरुप से न सही आंशिक रुप से सही सफल हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास योजनाओं का पैसा सिधे व्यक्ति के खाते में आये और निगरानी कर के जनप्रतिनिधि व जनसेवक तथा लोकसेवक उस योजना का क्रियान्वन करवायें जिससे योजनाओं का लाभ मिल सके। समाज का वंचितों का विकास हो सके। समाज के उपेक्षित दलित, पिछड़े, तथा महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। आज हम देखते है कि भले ही योजनाओं का पुरा लाभ न मिला हो किन्तु महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह सही है कि गांव की प्रधान महिला होती है लेकिन प्रधान पति महोदय कहे जाते है लेकिन महिला अपने मायके में प्रधान जी तो कही जाती है। आज कल धीरे– धीरे ही गोष्ठियों में भी महिलायें जाने लगी है। सरकारी नौकरीयों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज हम देखते है कि महिला विधायक, सांसद, मंत्री, न्यायाधिस, मुख्यमंत्री इत्यादि पदों पर सुशोभित कर रही है। सेना, पुलिस, रेलवें, शिक्षा विभाग, प्रशासन, बैंक में बढ़–चढ़कर प्रतिभाग कर रही है। इस प्रकार से महिला किसी ना किसी रुप में राष्ट्र और विकास की मुख्य धारा में जुड़ रही है।

मुख्य शब्द – भारत, महिला, जनप्रतिनिधि, दलित, पिछड़े।

भारत में प्रचीन काल से ही सृष्टि के आवश्यक अंग के रुप में नारी को स्थान दिया गया है। नारी के बिना संसार में मानव की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। नारी को समाज और परिवार का वाहक माना जाता है। नारी ही प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। कहा जाता है कि शिशु को वह जिस रुप में डालना चाहती है उस रुप में डाल देती है। प्रचीन भारतीय ग्रन्थों में नारी के विषय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चिंतन मिलते है।

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति को सबसे अच्छा माना गया है। कहा गया है कि ''यत्र नारीस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जिस घर में नारी की पूजा होती है। उस घर में ही देवता का वास होता है। हमारे दैनिक कार्यों में भी धार्मिक विधिविधानों में हम देखते है कि बिना स्त्री के कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही उतार – चढ़ाव आता रहा है। वैदिक युग मे हम देखते है कि शात्रार्थ में महिला भी भाग लेती थी । कालीदास और विद्योत्मा का साक्षात्कार हमारे सामने है। पौराणिक काल में शक्ति का सर्वरुप मानकर उनकी अराधना की जाती रही है। नारी की स्थिति धर्म, संस्कृति, साहित्य, परम्परा, रीति–रीवाज में देखने को मिलता है। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था । उसे देवी,सहधर्मिणी, अर्धागिनी, सहचरी माना जाता था। 11 वें से 19 सदी के मध्य महिलओं की स्थिति दैनिय रही है । इसके पीछे मूल कारण विदेशी आक्रान्तओं का रहा है। इस बीच में अरब और आसपास के मुस्लिम शासकों ने धर्म प्रचार के लिए व धन लुटने के उद्देश्य से भारत पर अनेकों बार आक्रमण किये। युद्ध में पराजित जनता और राजा के साथ बुरा व्यवहार होता था। महिलाओं को भोग की वस्तु मानकर कामवासना तृप्ति तक सिमित कर दिया गया। इसमें उच्च वर्ग की महिलायें पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, सती प्रथा की साक्षी बनी। तथा आज का दलित वर्ग अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरे परिवार के साथ जंगलों और दुर्गम इलाकों में जा बसा। इतिहास बताता है कि उन्होनें अपने धर्म की रक्षा के लिए मुस्लिम वर्ग की हराम सुअर को रखना प्रारम्भ कर दिया जिससे उनकी व महिलाओं की सुरक्षा हो सके। दुर्गम और जंगली जीवन के कारण उनकी स्थिति दयनीय होती गई। बाद में अंग्रेजी सरकार के बीच कुछ सुधार आंदोलन चले जिससे पुनः इनकी स्थिति में कुछ सुधार होता है।

हमें पता है कि वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में अरुणधति (महर्षि वशिष्ट की पत्नी), अनुसूईया (महर्षि अत्री की पत्नी), अपाला घोषा, लोपा मुद्रा इत्यादि महिलायें समाज को मार्ग दर्शन करती रही। ये सभी नारियां देवी रुप की प्रतिष्ठा की अनुरुप थी । तथा अपने पतियों की सहधर्मणि थी। किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज की विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

उत्तर वैदिक काल में धीरे–धीरे महिलाओं के स्थिति में ह्रास होना शुरु होता है। राजपूत काल में भी महिलओं द्वारा अनेक साहित्य की रचना की जाती है । और वे राज सत्ता में भी रही है। उनके नाम पर अनेक प्रकार के पोखरे, तालाअ, कुआं इत्यादि खोदे जाते रहे है। हम आम व्यवहार में देखते है कि पत्नी को विशेष स्थान है जैसे – सीताराम में सीता नाम पहले और राम का नाम बाद में आता है और राधाकृष्ण में भी यही स्थिति है देवतओं के स्वरुप में अर्धागनि स्वरुप की पूजा की जाती है। हम देखते है कि दुर्गा, काली, वैष्णंवी, गौर, गणेश, इत्यादि के पूजा के बिना किसी प्रकार के पूजा सफल नहीं होता है । मुगल काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह,सती प्रथा जैसी बुराईयां आती है। पर्दा प्रथा अपने रुप को ढ़कने के लिए बाल विवाह स्त्री का अपहरण से बचाने के लिए तथा सती प्रथा चीरहरणन से बचाने के लिए कु प्रथायें थी। आधुनिक काल में महिला सुधार आन्दोलनों के फलस्वरुप अनेक प्रकार के विधान बनाकर इन प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। 1700 ईसवीं के आसपास तन्जाऊ के अधिकारी न्यम्बकयज्वन का स्त्री धर्म पद्धति एक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में प्राचीन काल के अपस्तभ्भ सुत्र के काल के नारी सुलभ आचरण सम्बन्ध नियमों को संकलित किया गया है। मुख्यों धर्मः स्मृतिषु विहितो

भार्तृशुषानम हिः – स्त्री का मुख्य कर्त्तव्य उसकी पति की सेवा से जुडा हुआ है। यह कहा तक उचित है। यह कहना सम्भव नहीं है। प्राचीन काल में जहां स्त्रीयों को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त था। वही बाद के काल में उनके स्थिति में गिरावट आयी है। बहु विवाह की प्रथा मध्य कालीन राजपूत शासकों में व्याप्त थी। जबकि कई मुस्लिम परिवारों में महिलओं को जनाना क्षेत्र तक ही सिमित रखा गया था। मुगल काल में भी एक दो स्त्रीयों को अच्छा स्थान प्राप्त था मुगल राजकुमारी जहांआरा और जैबुननिशा सुप्रसिद्ध कवियित्रिया थी ।शिवा जी की मां एक कुशल प्रशासक के रुप में जानी जाती थी।

भक्ति आन्दोलन के समय स्त्रीयों के पुरानी स्थिति को वापस लाने के लिए कुछ प्रयास किये गये। मीराबाई भक्ति आन्दोलन के माध्यम से, अक्का महादेवी, रानी जानाबाई और लाल देद ने इस आन्दोलन में उनका हाथ बटाया। तथा हिन्दू समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच समाजिक न्याय और समान्ता की वकालत की। अंग्रेजी शासन के दौरान 1900 सदी में कुछ सुधार आन्दोलन चले इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या सागर, ज्योतिबा फूले, हरविलास शारदा जैसे महापुरुषों पे स्त्रीयों के समस्याओं में सुधार के लिए सकरात्मक प्रयास किया। सती प्रथा उन्मूलन के लिए 1819 में कानून बनाया गया। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1956 के द्वारा द्वितीय विवाह की अनुमत दी गई। हमें पता है कि 1857 के स्वतन्त्रता विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल इत्यादि महिलाओं ने किस तरह अपने शौर्य कौशल का परिचय दिया। हरविलास शारदा जी ने विवाह की एक निश्चित उम्र के लिए प्रयास करके कानून बनवाया। इससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके क्राग्रेंस आन्दोलन के समय भी अनेक महिलाओं बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें भिका जी कामा, डॉ0 ऐनीबेसेन्ट, विजयलक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृत कौर, कस्तुरबा गांधी, लक्ष्मी सहगल, सरोजनीय नायडू इत्यादि ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

आजादी के बाद महिलओं की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किये गये भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 व 16 में अवसर की समानता अधिकार, अनुच्छेद 21 में गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में समान कार के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ मौलिक कर्त्तव्य में भी इनके लिए प्रावधान किये गये। प्रसुति सहायता अनुच्छेद 42 भ्रुण हत्या एवं प्रसुति सहायता निवारण अधिनियम 1971 प्रावधान कियेग गये। जिससे स्त्रीयों की स्थिति में सुधार हो सके। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए संविधान संसोधन करके 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जिससे महिलाओं स्थिति मे साथ – साथ उनका सशक्तिकरण किया जा सके । आज के दौर में रोज नये –नये विधान बनाकर उनके स्थिति को सुधारा जा रहा है। अब हम 2014 से लेकर अब तक के लिए महिलाओं का उत्थान सम्बन्धित किये गये प्रयासों का एक विवेचन देखते है । 2014 में जब सत्ता के शीर्ष पर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास बैठते है तो उनके मन में समाज के शोषित, वंचित तपके व महिलाओं के विकास की उत्कठ इच्छा होती है तथा भारतीय संस्कृति की पहचान में महिला की मुख्य भूमिका को देखते हुए उनके विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा करते है। स्वामी विवेकानन्द जी कहते है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सवोत्त्म थर्मामीटर वहां के महिलओं का स्थिति होती है। हमें नारीयों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिऐ । जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढ़ग से स्वयं सुलझा सके। इसी को ध्यान में रखकर महिला सशक्तिकरण की नीति अपनायी गई। सर्व प्रथम 22 जनवरी 2015 को ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं'' योजना की शुरुवात की गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्य भारत में गिरते हुए

लिंगानुपात के प्रति लोगों को जागरुक करना है तथा लिंगानुपात से किस प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होगी। उसके प्रति लोगों को जागरुक करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़का –लड़की में होने वाले भेद भाव को रोकने के साथ – साथ प्रत्येक बालिका का सुरक्षा शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुरक्षित करना है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना भी गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन दे कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है । एल0पी0जी0 गैस के उपयोग से पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश भी देना चाहते है।

महिला शक्ति केन्द्र योजना 2017 के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने व क्षमता का अनुभव कराने का काम किया है।

सुकन्या समृधि योजना के तहत प्रत्येक बालिका को उसके खाते में जमा पैसे पर अधिक व्याज देकर उसके विवाह में होने वाले खर्च को कम करना है। जिससे बच्चीं को बोझ न माना जा सके । और भ्रुण हत्या न हो। शौचालय योजना के तहत प्रत्येक महिला को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मान सम्मान की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया गया । जनधन योजना से प्रत्येक व्यक्ति जिसका खाता नहीं है उसके खाता की सुविधा दी गई ।जिसमें वृत्ति समावेशन उचित तरीके से हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवास हीन परिवारों को 2022 तक आवास देकर के पुरे परिवार को सुरक्षित करना है । और लगभग सब जगह यह योजना सकार होती दिख रही है । आवश्यकता इस बात की है कि इसमें उचित पात्रों को बिना भ्रष्टाचार के उचित रुप से लाभार्थी को लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से सभी गरीब महिला पुरुष को सरकारी योजनाओं को लाभ मिलेगा। सबला योजना के द्वारा बालिकाओं को सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। मिशन इन्द्रधनुष के तहत सभी टिकाओं को लगाकर बिमारीयों से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ग्राम सड़क योजना से प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के चलते ग्रामीण समाज और महिलाओं का उत्थान होता जा रहा है। महिला उद्यमियों के लिए स्टाटअप योजना के द्वारा उनको रोजगार करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए त्रिपल तलाक कानून को लाया गया है। जिससे महिलाओं की समाजिक स्थिति में सुधार हो सके तथा उनको हलाला के दलदल में न फसना पड़े और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। शगुन योजना के तहत मुस्लिम लड़कीयों की शादी में अनुदान की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषणन मिशन के तहत गर्वती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ संरक्षण मिशन के तहत प्रत्येक कार्ड धारक परिवार को पांच लाख तक मुफ्त चिकित्सा की गई है। जिससे की समाज के सभी उपेक्षित और निःसहाय लोगों की मदद की जा सके।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ओकेशनल ट्रेनिंग के जरियें रोजगार से जोड़ने का कार्य कौशल विकास केन्द्र के जरियें किया जा रहा है। समर्थ योजना के तहत सभी इच्छुक लोगों को कपड़े सिलने, सिलाने का विभिन्न प्रकार के गुण समय प्रबन्धन इत्यादि में दक्ष बनाया जाता है। परिधान बुने हुऐ कपड़े धातु, हस्त कलां, हथ करघा, कालिन इत्यादि बनाने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है।

इस प्रकार हम देखते है कि विगत 2014 से लकर अब तक इस सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से अनेक प्रयास कर रही है। उनके प्रयासों में

डी0बी0टी0 योजना के द्वारा जो धन राशि आती है। उससे लाभार्थी को सिधे लाभ होता है लेकिन लेखक ने अपने सर्वेक्षण में यह पाया कि मनरेगा के तहत प्राप्त धनराशि आती तो मजदूर के खाते में है लेकिन प्रधान महोदय उसको कुछ धनराशि देकर स्वयं शेषधन राशि ले लेते है। इसी तरह शौचालय योजना से बने हुऐ शौचालय एक डब्बे के रुप में परिवर्तित हो गये है । तथा वे दुर्घटना के कारण बनते जा रहे है। इससे प्रधानमंत्री जी की सर्वांगीण विकास योजना को चुना लगता जा रहा है। ऐसी कई योजनायें है जो धरातल पर पुर्णतः सफल नहीं है। सफल न होने के पीछे स्थानीय स्तर पर कुछ चतुर, धुर्त किस्म के लोगों व प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ है । इन पर अंकुश लगाये बिना यह योजना अपने पूर्णरुप से सफल नहीं हो पायेगी । हम गांवों में जाकर देखते है तो बात करने पर पता चलता है कि आम जन में प्रधानमंत्री जी की अच्छी छवि है । लेकिन उनकी छवि को लोकल स्तर के जनप्रतिनिधि पलीता लगा रहे है । और सरकारी योजनाओं को धन उगाही का केन्द्र बना बैठे है।

इस प्रकार हम पाते है कि योजनायें धरातल पर पूर्णरुप से न सही आंशिक रुप से सही सफल हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास योजनाओं का पैसा सिधे व्यक्ति के खाते में आये और निगरानी कर के जनप्रतिनिधि व जनसेवक तथा लोकसेवक उस योजना का क्रियान्वन करवायें जिससे योजनाओं का लाभ मिल सके। समाज का वंचितों का विकास हो सके। समाज के उपेक्षित दलित, पिछड़े, तथा महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। आज हम देखते है कि भले ही योजनाओं का पुरा लाभ न मिला हो किन्तु महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है । यह सही है कि गांव की प्रधान महिला होती है लेकिन प्रधान पति महोदय कहे जाते है लेकिन महिला अपने मायके में प्रधान जी तो कही जाती है। आज कल धीरे – धीरे ही गोष्ठियों में भी महिलायें जाने लगी है। सरकारी नौकरीयों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज हम देखते है कि महिला विधायक, सांसद, मंत्री, न्यायाधिस, मुख्यमंत्री इत्यादि पदों पर सुशोभित कर रही है। सेना, पुलिस, रेलवें, शिक्षा विभाग, प्रशासन, बैंक में बढ़ –चढ़कर प्रतिभाग कर रही है । इस प्रकार से महिला किसी ना किसी रुप में राष्ट्र और विकास की मुख्य धारा में जुड़ रही है।